

आवंटन पत्र

दिनांक :

सेवा में
श्रीमान् / श्रीमती
निवासी

मोबाइल
ई-मेल

महोदय / महोदया,

यह आपके प्रार्थना पत्र दिनांक ("प्रार्थना-पत्र") हमारे आवासीय योजना "....."
स्थित ("योजना") में आवासीय युनिट के आवंटन के सम्बन्ध में है।

आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रार्थना पत्र में दिये गये नियम व शर्तों के अनुसार आपके द्वारा दी गयी बुकिंग राशि के आधार पर निम्न आवासीय युनिट को अन्तरिम रूप से आपको आवंटित की जाती है।

अपार्टमेन्ट नं.	टाइप	फ्लोर	टावर	कुल क्षेत्रफल (लगभग)	कार्पेट एरिया* (लगभग)	विशिष्ट क्षेत्र	कुल सेल कन्सीडरेशन**

*कार्पेट एरिया और विशिष्ट क्षेत्र (बालकनी/टेरेस/वरानदा क्षेत्र के रूप में जैसा भी हो) अन्तरिम आवेदन पत्र में कार्पेट एरिया व केवल आपके प्रयोग हेतु उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट (रिगुलेशन और डेवलपमेंट) एकट, 2016 की धारा 2(K) के आधार पर ही युनिट की धनराशि निर्धारित की गयी है जिसमें कि सम्पूर्ण कार्पेट एरिया व केवल आपके उपयोग हेतु क्षेत्र समिलित है।

**संलग्नक के अनुसार

कृपया ध्यान रखें कि उक्त आवंटन पूर्णरूप से अन्तरिम है जो कि आवासीय इकाई के विक्रय अनुबन्ध के किये जाने पर निर्भर करेगा। आपको आवंटन पत्र में दी गयी शर्तों व शब्दावली तथा विक्रय अनुबन्ध में दी गयी शर्तों का पालन करना होगा तथा देयता के सम्बन्ध में समयानुसार भुगतान करना होगा। शेष देय धनराशि व अन्य देय, प्रभार, टैक्स, चार्जेज जिसका कि उल्लेख प्रार्थना पत्र व विक्रय अनुबन्ध में संलग्न है के अनुसार करना होगा जो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्त, विक्रय अनुबन्ध के निष्पादन तक ही लागू होंगी।

कृपया ध्यान रखें कि उक्त आवंटन, आवंटन पत्र एवं विक्रय अनुबन्ध में दी गयी शर्तों के उल्लंघन, देय धनराशि के देयता में देरी या प्लान के अन्तर्गत किश्तों के भुगतान न किये जाने पर कम्पनी आवंटन को निरस्त करने के लिये पूर्णतः अधिकृत होगी। इसके अतिरिक्त आवंटन के निरस्त होने की स्थिति में आवंटन धनराशि एवं नॉनरिफनडेबल धनराशि, जैसा कि प्रार्थना पत्र व विक्रय अनुबन्ध में उल्लिखित है, को जब्त कर सकती है और यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह उक्त धनराशि कम्पनी बिना किसी ब्याज या हर्जाना के वापस कर देगी।

धन्यवाद।

कृते एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(अधिकृत हस्ताक्षरी)